प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. ......339/2022.............. दिनांक ....31/08/2022..........

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें .... 7 ....
(ii) अधिनियम...धारायें...
(iii) अधिनियम... धारायें...
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या...........565.............. समय .....10:50 Am.
(ख) अपराध घटने का दिन मंगलवार दिनांक :– 30.08.2022 समय ....12.45 पीएम ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– कस्बा परबतसर जिला नागौर ....
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से पश्चिम दिशा में करीब 100 किलोमीटर
(ब) पता :– बड़ले वाले बालाजी के मंदिर के सामने वाले रास्ते पर मंदिर से करीब 150 मीटर दूर कस्बा परबतसर जिला नागौर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री राजुराम
(ब) पिता / पति का नाम :– श्री ब्रजमोहन गोदारा
(स) जन्म तिथि / वर्ष :– 36 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी शिवनगर बोरावड पुलिस थाना मकराना जिला नागौर ....

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजसिंह, जाति रावणा राजपूत, उम्र–31 वर्ष, निवासी गांव गिंगोली पुलिस थाना परबतसर जिला नागौर हाल सूचना सहायक तहसील कार्यालय परबतसर जिला नागौर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 8,000 रूपये.................................

11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 29.08.2022 को समय करीब 11.45 एएम पर परिवादी राजुराम ने अपने मोबाईल नम्बर 9626194955 से श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक को कॉल कर श्री देवेन्द्रसिंह रजिस्ट्री बाबू तहसील कार्यालय परबतसर जिला नागौर द्वारा रिश्वत मांगने तथा बाबू को रिश्वत नहीं देकर उसे पकडवाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी के चाहेनुसार दिनांक 29.08.2022 को समय 1.00 पीएम पर कार्यालय के श्री रामनिवास कानि. को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी से कस्बा परबतसर में सम्पर्क कर परिवादी को टेप चालू व बन्द करने की विधि समझाने तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने की हिदायत देकर रवाना किया गया तथा उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक को मामले में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

कार्यवाही पुलिस

29.08.2022

9.00 पीएम इस समय श्री रामनिवास कानि. ने मन् सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी श्री राजुराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैने मेरी पत्नी नर्बदा के नाम 1200 फूट का प्लाट 90बी शुदा इस्लामुदीन पुत्र श्री निजामुदीन से खरीदा जो गीगोली रोड पर कृषि भूमि खाता संख्या 409 में स्थित खसरा नम्बर 2310 में है, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 22.08.2022 को जरिये प्राईवेट अर्जीनिवेश श्री सुनिलजी से ऑन लाईन करवाई थी इस बाबत सुनिल जी ने कहा 2000 रूपये है और अन्दर देने पडेंगें इस पर मैने कहा आप अपने 2000 लो अन्दर तहसीलदार जी से मैं बात कर लूंगा फिर दिनांक 26.08.2022 को रजिस्ट्री के लिये बाबू के पास गया तो देवेन्द्रसिंह रजिस्ट्री बाबू 10,000 रूपये की मांग की व 29.08.2022 को सुबह आने को कहा आज 29.08.2022 को सुबह में गया तो रजिस्ट्री के बदले 10,000 रूपये की मांग की और कहा कि रजिस्ट्री तैयार है 10,000 रूपये दे दो और रजिस्ट्री ले जावो मै देवेन्द्रसिंह रजिस्ट्री बाबू को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ बाबू के साथ मेरा कभी भी कोई लेनदेन नही हुआ। अतः कानूनी कार्यवाही करें। एसडी–राजुराम पुत्र श्री ब्रजमोहन गोदारा,जाति जाट, उम्र–36 वर्ष, निवासी शिवनगर बोरावड पुलिस थाना मकराना जिला नागौर मोबाईल नम्बर 9626194599 दिनांक 29.08.2022 एसडी–सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक दिनांक 29.08.2022

श्री रामनिवास कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि " कस्बा परबतसर में पहूँच मैने परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाकर हम दोनों तहसील कार्यालय परबतसर के पास पहूँचे जहाँ मैने टेप रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर दिया तथा परिवादी के तहसील कार्यालय से वापिस आने पर मैने टेप रिकार्डर वापिस प्राप्त कर लिया। कानि. ने बताया कि परिवादी ने कल दिनांक 30.08.2022 को परबतसर पहूँच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की कही है। टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद होती है। अतः परिवादी द्वारा कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित आलमारी में रखा गया।

दिनांक 30.08.2022 को पूर्व से पाबन्द शुदा गवाहान श्री कृष्ण कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री रामस्वरूप सूचना सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी सीकर के उपस्थित कार्यालय आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु समय 9.00 एएम पर फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उसे सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई जाकर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द मौतवीरान श्री कृष्ण कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री रामस्वरूप सूचना सहायक कार्यालय स्टॉफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लेकर मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड के जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहन सीकर से रवाना होकर कस्बा परबतसर से पहले मंगलाना चौराहा के पास पहूँचा जहाँ परिवादी राजुराम अपनी मोटरसाईकल सहित उपस्थित मिला, मौके पर मुख्य सड़क के किनारे वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी राजुराम से पूछताछ की गई तो परिवादी ने श्री देवेन्द्र सिंह रजिस्ट्री बाबू तहसील कार्यालय परबतसर द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना बताते हुये दिनांक 29.08.2022 को श्री रामनिवास कानि. से कस्बा परबतसर में टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राप्त कर तहसील कार्यालय में जाकर श्री देवेन्द्रसिंह बाबू से वार्ता करना, वार्ता के दौरान देवेन्द्रसिंह द्वारा 8,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना तथा वार्ता के पश्चात तहसील कार्यालय से बाहर आकर टेप रिकार्डर श्री रामनिवास को सुपुर्द करना बताया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने दिनांक 29.08.2022 को श्री रामनिवास कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये आरोपी देवेन्द्रसिंह बाबू से पूर्व का कोई उधार लेनदेन एवं आपसी रंजिश से ईन्कार किया। परिवादी राजूराम का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री राजुराम ने हिदायत देने पर आरोपी रजिस्ट्री बाबू को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले पॉच–पॉच सौ रूपयों के 16 नोट कुल 8,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5CW 561162
2–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9EC 872940
3–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2CT 447529
4–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2NL 860114
5–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3QW 036127
6–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0BH 306265
7–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6BE 069575
8–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5CH 465000
9–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6BD 005277
10–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5VD 498224
11–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4MQ 473259
12–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3HM 060535
13–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3AL 197284
14–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8MS 078710
15–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3PH 866997
16–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6BQ 972425

फिनोफ्थलीन की शीशी गाडी के डेस्क बोर्ड से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री कृष्णकुमार से परिवादी श्री राजुराम की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 8,000 रूपयों के नोट श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से परिवादी के पहने हुये शर्ट की सामने की बांई जेब सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को तय ईशारे बाबत मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिकिया व महत्व परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी राजुराम को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को वाहन मे ही मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

बाद उपरोक्त कार्यवाही समय 11.40 एएम पर परिवादी को उसकी मोटरसाईकल से रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के तहसील कार्यालय के पास बने बड़ले वाले बालाजी के मंदिर के पास पहूॅचा जहॉ वाहनों को साईड में रूकवाकर आरोपी बाबू की मौजूदगी की पता लगाने हेतु समय करीब 12.02 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 9626194955 से श्री देवेन्द्रसिंह के मोबाईल फोन नम्बर 9829703462 पर कॉल लगवाकर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई तथा वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। दौराने वार्ता श्री देवेन्द्र सिंह ने परिवादी को तहसील कार्यालय के अन्दर आने की कही, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के परिवादी को साथ लेकर तहसील कार्यालय के पास पहूॅचकर परिवादी को तहसील कार्यालय के अन्दर भिजवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के तहसील कार्यालय के आस–पास परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय करीब 12.25 पीएम पर परिवादी ने तहसील कार्यालय से बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "मैने तहसील कार्यालय में जाकर श्री देवेन्द्रसिंह से वार्ता की

तो कुछ समय बाद बात करने की कही है।'' इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के परिवादी को साथ लेकर बडले वाले बालाजी के मंदिर के पास पहूँच आरोपी देवेन्द्रसिंह के कॉल आने के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय करीब 12.43 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 9626194955 पर श्री देवेन्द्रसिंह के मोबाईल फोन नम्बर 9829703462 से कॉल आने तथा उसके द्वारा बडले वाले बालाजी के मंदिर के पास आने की कहने पर परिवादी को मंदिर की तरफ रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर मंदिर के आस–पास मुकिम हुआ।

तत्पश्चात समय करीब 12.45 पीएम पर कस्बा परबतसर में तहसील कार्यालय के पास बने बड़ले वाले बालाजी के मंदिर के आस–पास मुकिम हुये मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी के एक व्यक्ति महरून कलर का शर्ट पहने हुये अपनी मोटरसाईकल से उतरकर मंदिर के मुख्य गेट के पास आकर रूकता दिखाई दिया तथा गेट के पास ही खड़े दिखाई दे रहे परिवादी द्वारा उक्त व्यक्ति को रिश्वती राशि देने पर उसने अपने बायें हाथ में रूपये लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांई जेब में रख लिये, इतने में ही मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उस व्यक्ति की तरफ जाने लगे तो उस व्यक्ति ने अपनी मोटरसाईकल स्टार्ट कर मंदिर के सामने जाने वाले रास्ते की तरफ मोटरसाईकल से भागने लगा, जिस पर उस व्यक्ति का वाहनों से पीछा कर करीब 150 मीटर आगे रास्ते में घुमाव आने पर उस व्यक्ति द्वारा मोटरसाईकल को धीमा करने पर वाहन को उस व्यक्ति की मोटरसाईकल के आगे लगाकर रूकवाया तो इतने में ही उस व्यक्ति ने अपने पहने हुये शर्ट की सामने की बांई जेब से रूपयो को निकालकर सड़क पर गिरा दिया तथा पुनः भागने का प्रयास करने लगा तथा मौके पर भीड–भाड होने पर रिश्वती राशि के नोट रूपये श्री मूलचन्द कानि. से उठवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश देने पर उस व्यक्ति का बांया हाथ श्री रामनिवास कानि. एवं दाहिनी हाथ श्री दलीप कुमार कानि. ने कलाईयों के उपर से पकड लिये। इतने में ही मौके पर परिवादी के उपस्थित होने पर परिवादी ने बताया कि ''यही देवेन्द्रसिंह है जिन्होने मंदिर के गेट पर मेरे से 8000 रूपये रिश्वत के लेकर अपने पहने हुये शर्ट की सामने की बांई जेब में रखे है'' इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक तहसील कार्यालय परबतसर जिला नागौर होना बताते हुये कहा कि ''मैने इनसे रूपये उधार लिये है'' मौके पर परिवादी ने श्री देवेन्द्रसिंह के कथनों का खण्डन करते हुये कहा कि ''मैने इनको कोई उधार के रूपये नहीं दिये है, मेरी रजिस्ट्री करवाने के बदले इन्होने मेरे कल 8000 रूपये रिश्वत की मांग की थी, आज मैने इनसे तहसील कार्यालय में मिला तो इन्होने मुझे मंदिर के पास आने की कही, इनके मंदिर के पास आने पर मैने इनको रिश्वती राशि के रूपये दिये तब इन्होने मुझे मेरी रजिस्ट्री दी है'' मौके पर भीड–भाड एकत्रित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से उक्त श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक को उपरोक्त दोनों कानिगण के द्वारा उसके दोनों हाथों को कलाईयों के उपर से पकडे हुये को, उसी स्थिति में वाहन में बैठाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के समय करीब 01.05 पीएम पर पुलिस थाना परबतसर जिला नागौर पहूँच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई।

तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त दोनों हाथों के धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री मूलचन्द कानि. ने मौके पर आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक द्वारा गिराये गये रूपयों के नोट पेश करने पर गवाह श्री कृष्ण कुमार से गिनवाया गया तो पॉच पॉच सौ रूपयों के 17 नोट कुल 8,500 रूपयों के नोट पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो 8000 रूपयों के नोटों के नम्बर पूर्व में बनी फर्द

पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। उपरोक्त नम्बरी नोटों के अलावा एक नोट पॉच सौ रूपये का और पाया गया, जिसके बारे में पूछने पर आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक ने स्वयं की होना बताया। उक्त नोट को आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक को सुपुर्द किया गया। उपरोक्त बरामद शुदा नोटों के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर रिश्वती राशि के कुल 8,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक को दूसरा शर्ट उपलब्ध करवाकर उसके पहने हुये शर्ट को उतारकर पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपना पहना हुआ शर्ट उतारकर पेश किया। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक के शर्ट की सामने की बांई जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी–1 एंव पी–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक के शर्ट के जेब की तलाशी लिवाई गई तो कोई वस्तु नहीं पाई गई। आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक का उक्त शर्ट बरंग महरून की सामने की बांई जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क ''ए'' अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक को परिवादी की रजिस्ट्री के बारे में पूछने पर बताया कि'' इनकी रजिस्ट्री को मेरे द्वारा दिनांक 26.08.2022 को ऑन लाईन किया गया था'' परिवादी की उसकी पत्नी श्रीमती नर्बदा देवी के नाम मूल रजिस्ट्री की फोटो प्रति करवाई जाकर दस्तावेजात के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। मूल रजिस्ट्री परिवादी को सुपुर्द की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर–1, आर–2, एल–1, एल–2, पी–1, पी–2, सील्ड रिश्वती राशि के कागज, जप्त शुदा रजिस्ट्री की फोटो प्रति एंव सील्ड शर्ट का पैकेट मार्क ''ए'' पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह सूचना सहायक तहसील कार्यालय परबतसर जिला नागौर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी राजूराम के बडले वाले बालाजी के मंदिर के सामने घटना स्थल पहूँच घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका हस्ब कायदा तैयार किया गया। बाद कार्यवाही उपरोक्त मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के पुलिस थाना परबतसर पहूँचा।

तत्पश्चात परिवादी श्री राजुराम द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 29.08.2022 को आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक तहसील कार्यालय परबतसर जिला नागौर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया। जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''बी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी राजुराम ने स्वंय की व आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक तहसील कार्यालय परबतसर जिला नागौर की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय आरोपी देवेन्द्रसिंह की मौजूदगी की पता लगाने हेतु परिवादी राजुराम के मोबाईल फोन नम्बर 9626194955 से श्री देवेन्द्रसिंह के मोबाईल फोन नम्बर 9829703462 पर कॉल लगवाकर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई तथा वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया तथा परिवादी राजुराम द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन तहसील कार्यालय परबतसर में आरोपी देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक से हुई वार्ता, जिसकों परिवादी द्वारा कार्यालय

के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया तथा परिवादी राजुराम द्वारा बडले वाले बालाजी के मंदिर के पास कस्बा परबतसर में दौराने रिश्वत लेनदेन परिवादी की आरोपी देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक से हुई वार्ता, जिसकों परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। उपरोक्त तीनों वार्ताओं का परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से उपरोक्त तीनों वार्ताओं की सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी राजुराम ने स्वंय की व आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक तहसील कार्यालय परबतसर जिला नागौर की आवाजों की पहचान की।

मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी को मौके पर छोडा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री देवेन्द्रसिंह सूचना सहायक तहसील कार्यालय परबतसर जिला नागौर व जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमराह लेकर परबतसर से रवाना होकर सीकर पहूँच आरोपी सूचना सहायक को बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा के लिहाज से पुलिस थाना उद्योगनगर सीकर में जमा करवाकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूँचा। जप्त शुदा माल वजह सबूत सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया।

की गई कार्यवाही से कार्यवाही से आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह सूचना सहायक तहसील कार्यालय परबतसर जिला नागौर, जो तहसील कार्यालय परबतसर में रजिस्ट्रीयों को ऑन लाईन करने का कार्य देखता था, के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री राजुराम द्वारा क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री करवाने की एवज में दिनांक 29.08.2022 को परिवादी राजुराम से 8,000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 30.08.2022 को परिवादी से 8000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह सूचना सहायक तहसील कार्यालय परबतसर जिला नागौर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह सूचना सहायक तहसील कार्यालय परबतसर जिला नागौर के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह, सूचना सहायक, तहसील कार्यालय परबतसर, जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 339/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2962-66 दिनांक 31.08.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, सूचना प्रोद्यौगिक संचार विभाग, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

31.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।